

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08012026-269188  
SG-DL-E-08012026-269188असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 2026/ पौष 16, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 401
No. 6]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 2026/ PAUSHA 16, 1947	[N. C. T. D. No. 401

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIदिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  
(पूर्ववर्ती दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज)

## अधिसूचना

दिल्ली, 6 जनवरी, 2026

फा. सं. एफ.डीटीयू/ओआरजी/अधिसूचना/04(1)/2009.पी.II/720.— दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम संख्यांक 6) की धारा-30 के साथ पठित धारा-31 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी पदों पर नियुक्त नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की रीति, सेवा के निबंधन और शर्तों से संबंधित निम्नलिखित संविधि बनाते हैं।

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- 1.1 इस संविधि को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (द्वितीय) संविधि, 2025 कहा जाएगा।
- 1.2 यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 1.3 यह दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लागू होगी। शिक्षकों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भी शामिल हैं।

## 2. परिभाषाएं:

जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संविधि में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जहां उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रथम) संविधि, 2009 में निर्दिष्ट किया गया है।

## 3. भर्ती:

3.1 प्रत्येक पद के लिए भर्ती नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति के अध्यक्ष, शिक्षकों के सभी स्थायी पद अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। भर्ती की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से होगी। चयन दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रथम) संविधि, 2009 के अनुसार सम्यक रूप से गठित चयन समितियों द्वारा यथाअनुशंसित योग्यता के आधार पर होगा। नियुक्तियों चयन समितियों की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएंगी।

किसी विशेष मामले में, चयन समिति की सिफारिश पर किसी विशेष पद के लिए अनुपस्थिति में उम्मीदवारी पर विचार करके भी नियुक्तियां की जा सकेंगी।

## 3.2 आरक्षण:

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पदों में आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट आरक्षण प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

## 4. चिकित्सा स्वस्थता:

### 4.1 प्रथम नियुक्ति पर:

विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से शिक्षक के पद के लिए नियुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अपनी पहली नियुक्ति पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड या विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। यदि अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध एक माह के भीतर कुलपति को अपील कर सकेगा, जो अभ्यर्थी की अपील पर विचार करने के पश्चात अभ्यर्थी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के किसी अस्पताल के उच्चतर चिकित्सा बोर्ड की राय के लिए संदर्भित कर सकेगा और ऐसे चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

परंतु यह कि यदि किसी अभ्यर्थी की उसकी पिछली नियुक्ति के लिए सरकारी अस्पताल के चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा पहले ही चिकित्सा जांच की जा चुकी है और यदि नए पद के लिए चिकित्सा स्वस्थता का अपेक्षित मानक वही है, तो उसे पुनः चिकित्सा जांच कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

### 4.2 कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए:

जब कभी नियुक्ति प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि शिक्षक अपने कर्तव्यों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, वह किसी शिक्षक को कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपेक्षित उसकी शारीरिक या मानसिक उपयुक्तता की जांच करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा। तथापि, शिक्षक को कुलपति के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जो अभ्यर्थी की अपील पर विचार करने के पश्चात अभ्यर्थी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या भारत सरकार के किसी अस्पताल के उच्चतर चिकित्सा बोर्ड की राय के लिए संदर्भित कर सकेगा और ऐसे चिकित्सा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

## 5. चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन:

विश्वविद्यालय की सेवा में प्रथम बार प्रवेश करने वाले सभी शिक्षकों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन विश्वविद्यालय की सेवा में उनके शामिल होने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी से कराया जाएगा।

## 6. कार्यभार ग्रहण करने का समय:

किसी शिक्षक के लिए कार्यभार ग्रहण करने का समय नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने की तारीख से एक महीने का होगा। तथापि, असाधारण मामलों में कुलपति द्वारा मामले की गुणता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकेगा।

**7. आयु की घोषणा:**

उम्मीदवार सेवा में प्रवेश के समय विश्वविद्यालय को अपनी आयु की घोषणा करेगा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण-पत्र में घोषित उसकी जन्म-तिथि पर आधारित होगी। आयु की घोषणा किए जाने और विश्वविद्यालय द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद, यह उस पर विधिक रूप से बाध्यकारी होगी और किसी भी कारण से पश्चातवर्ती तारीख में आयु में किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**8. सेवा का लिखित अनुबंध:**

विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-36 (1) तथा दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (प्रथम) संविधि, 2009 की धारा 20(2) के अनुसार विश्वविद्यालय और शिक्षक के बीच किए गए लिखित अनुबंध के आधार पर की जाएगी।

**9. शिक्षक का संपूर्ण समय:**

9.1 जब तक अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधित न किया गया हो, शिक्षक का संपूर्ण समय विश्वविद्यालय की सेवा के अधीन होगा और वह विश्वविद्यालय को ऐसी क्षमता में, ऐसी रीति से तथा ऐसे स्थानों पर सेवा प्रदान करेगा जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाएगा।

9.2 विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को विश्वविद्यालय के हित में तथा उसके प्रयोजन के लिए उसे सौंपे गए किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जा सकेगा।

**10. वेतन और भत्ते:**

उच्च योग्यता के लिए वेतन और भत्ते तथा प्रोत्साहन ऐसे वेतन-मैट्रिक्स/वेतन-बैंड या ऐसे वेतन-मैट्रिक्स/वेतन-बैंड की ऐसी अवस्था के उपबंधों के अनुसार होंगे, जैसा कि यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा यथाअधिसूचित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित और तत्पश्चात समय-समय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत वेतन-मैट्रिक्स/वेतन-बैंड के अनुसार भर्ती नियमों में परिभाषित किया गया हो।

**11. वार्षिक वेतन-वृद्धि:**

वार्षिक वेतन-वृद्धि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार लागू होगी।

**12. कैरियर उन्नति:**

कैरियर उन्नति योजना एआईसीटीई/यूजीसी के विनियमों के उपबंधों के अनुसार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार लागू होगी।

**13. पूर्व सेवा की गणना:**

पूर्व सेवाओं की गणना एआईसीटीई/यूजीसी के विनियमों के उपबंधों के अनुसार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार लागू होगी।

**14. परिवीक्षा की अवधि और पुष्टिकरण:**

14.1 स्थायी पद पर नियुक्त प्रत्येक शिक्षक भर्ती नियमों में यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा, बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर और संबंधित शिक्षक को 6-8 सप्ताह की अवधि के भीतर सूचित करके परिवीक्षा की अवधि को बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

14.2 परिवीक्षा पर नियुक्त किसी शिक्षक के मामले में, नियुक्ति को एक मास के नोटिस पर या नियुक्ति समाप्त करने का विकल्प चुनने वाले किसी भी पक्ष द्वारा, बिना कोई कारण बताए, एक मास के वेतन के बराबर राशि का भुगतान करके समाप्त किया जा सकेगा।

परंतु यह कि जहां सेवा की अवधि तीन मास से कम की हो, वहां न तो कोई नोटिस देना और न ही नोटिस के बदले वेतन का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

14.3 परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी करने पर, शिक्षक विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट रीति से उस पद पर पुष्टिकरण के लिए पात्र होगा।

#### 15. वरिष्ठता:

विभाग/विषय में शिक्षक की वरिष्ठता डीटीयू (छठी) संविधि, 2021 के अनुसार विनिर्धारित की जाएगी जैसा कि राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23.03.2022 में निहित है और समय-समय पर संशोधित और अधिसूचित किया गया है।

#### 16. अस्थायी और स्थायी सेवा:

16.1 कोई कर्मचारी परिवीक्षा पर रहने के दौरान तब तक विश्वविद्यालय की अस्थायी सेवा में रहेगा, जब तक कि विश्वविद्यालय संविधियों/अध्यादेशों के विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन उसका विश्वविद्यालय में पुष्टिकरण नहीं हो जाता है।

16.2 विश्वविद्यालय में स्थायी पद पर पुष्ट हुआ कर्मचारी अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई संविधियों के उपबंधों के अधीन विश्वविद्यालय की स्थायी सेवा में रहेगा।

#### 17. त्यागपत्र:

सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के अधीन, कोई पुष्ट हुआ शिक्षक नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन माह का नोटिस देकर विश्वविद्यालय की सेवा से त्यागपत्र दे सकेगा।

परंतु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी, यदि उचित समझे, किसी स्थायी कर्मचारी को तीन मास से अन्यून अवधि के नोटिस पर पदमुक्त कर सकेगा। त्यागपत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

#### 18. शिक्षकों की अधिवर्षिता:

विश्वविद्यालय की स्थायी पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत शिक्षक, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए यथालागू वर्षों की ऐसी आयु सीमा पूरी करने पर अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होंगे, जो भर्ती नियमों में परिभाषित की गई है, तथा इसमें अधिवर्षिता के लिए ऐसी आयु पर विचार किया जाएगा जिसे यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा अधिसूचित तथा एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित और तत्पश्चात प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर अंगीकृत किया गया है।

यदि किसी शिक्षक की जन्मतिथि माह के पहले दिन के अलावा किसी अन्य दिन पड़ती है, तो वह उस महीने के अंतिम दिन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा। जिस शिक्षक की जन्मतिथि माह के पहले दिन पड़ती है, वह पूर्ववर्ती माह की अंतिम तारीख को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।

#### 19. सेवानिवृत्ति लाभ:

विश्वविद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथाअनुमोदित नई पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।

विश्वविद्यालय का शिक्षक अधिवर्षिता पर एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा यथाअनुशंसित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथाअनुमोदित और तत्पश्चात समय-समय पर डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत की गई ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा।

ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और समय-समय पर डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए गए नियमों द्वारा प्रशासित होंगे।

#### 20. छुट्टी नियम:

अधिसूचना संख्या एफ.1/डीटीयू/अवकाश(टी)/स्थापना/2017/424 दिनांक 10.01.2018 द्वारा यथाअधिसूचित अवकाश नियम तथा समय-समय पर संशोधित एवं अधिसूचित अध्यादेश/विनियम विश्वविद्यालय शिक्षकों पर लागू होंगे।

#### 21. वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट:

21.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथाअनुमोदित और डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अंगीकृत किए गए एआईसीटीई/यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन योजना लागू होगी जिसमें प्रदर्शन का स्व-मूल्यांकन भी सम्मिलित है।

21.2 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें अध्यादेश/विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट रिपोर्टिंग, समीक्षा और स्वीकृति प्राधिकारियों को प्रस्तुत की जाएंगी।

## 22. व्यावसायिक आचार संहिता:

विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक अध्यादेश/विनियमों में निर्धारित व्यावसायिक आचार संहिता सभी शिक्षकों पर लागू होगी।

## 23. आचरण, अनुशासन और अपील:

विश्वविद्यालय के शिक्षक विश्वविद्यालय के अध्यादेश/विनियमों में यथानिर्दिष्ट आचरण, अनुशासन और अपील नियमों द्वारा प्रशासित होंगे।

## 24. पुनर्ग्रहणाधिकार और प्रतिनियुक्ति:

नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार/अन्य विश्वविद्यालयों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं में तथा किसी बाहरी सरकारी एजेंसी में छुट्टी के भुगतान और अन्य अंशदान आदि से संबंधित ऐसे नियमों और शर्तों पर प्रतिनियुक्ति पर रहने की अनुमति दे सकेगा, जैसा कि विश्वविद्यालय और नियुक्ति प्राधिकारी के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो तथा जैसा कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया हो।

## 25. अवकाश:

25.1 अवकाश ऐसी अवधि और ऐसी तारीखों के लिए होगा जैसा कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर में प्रति वर्ष अधिसूचित किया गया है।

25.2 विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी अवकाश का लाभ उठाने के हकदार होंगे और उन्हें "अवकाश कर्मचारी" कहा जाएगा।

25.3 अवकाश कर्मचारी स्वतः अवकाश का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि आकस्मिकता की स्थिति द्वारा आवश्यकता उत्पन्न होती हो, तो अवकाश कर्मचारियों के किसी भी सदस्य को अवकाश के दौरान ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इस अवधारण अवधि के बदले अर्जित अवकाश को अवकाश नियमों से संबंधित अध्यादेशों/विनियमों में परिभाषित किए गए अनुसार जमा किया जाएगा, जैसा कि अधिसूचना एफ1/डीटीयू/अवकाश(टी)/स्थापना/2017/424 दिनांक 10.01.2018 और विश्वविद्यालय के समय-समय पर संशोधित और अधिसूचित अध्यादेशों/विनियमों द्वारा अधिसूचित किया गया है।

## 26. अनिवार्य कटौतियाँ

26.1 विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/विनियमनों में निर्दिष्ट किए गए के अलावा किसी शिक्षक के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी।

परंतु यह कि कोई भी कटौती आयकर प्रयोजन/चिकित्सा सुविधा/बीमा प्रीमियम के अनुसार सांविधिक कटौतियों के प्रति की जाएगी, जैसाकि शिक्षक द्वारा समय-समय पर विकल्प दिया गया है।

26.2 जहां कोई शिक्षक सम्यक रूप से स्थापित नई पेंशन योजना (एनपीएस) और विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित उसके नियमों के प्रति अंशदान करता है, वहां उस निधि में अंशदान की कटौती निर्धारित दर पर प्रत्येक माह उसके वेतन से की जाएगी।

## 27. सेवा के अभिलेख

27.1 प्रत्येक शिक्षक के लिए एक व्यक्तिगत फाइल होगी जिसमें विश्वविद्यालय में उसकी सेवा से संबंधित सभी कागजात, अभिलेख और अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे।

27.2 व्यक्तिगत फाइल के अतिरिक्त, प्रत्येक शिक्षक के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में एक सेवा पुस्तिका भी रखी जाएगी। इसमें विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति की तारीख से लेकर उसके सेवा का इतिहास शामिल होगा, जिसमें वेतन-वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार, दंड, एल.टी.सी. का लाभ और उसके कैरियर की अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल होंगी। सेवा पुस्तिका में शिक्षक का अवकाश लेखा भी होगा, जिसमें उसके द्वारा अर्जित और ली गई सभी प्रकार की

छुट्टियों (आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर) का पूरा अभिलेख और उसके खाते में शेष छुट्टियों का विवरण होगा।

27.3 सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों को कार्यालय प्रमुख या कुलपति द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

## 28. छुट्टी यात्रा रियायत

स्थायी पद पर नियुक्त शिक्षक विश्वविद्यालय के अध्यादेशों/विनियमों में यथानिर्दिष्ट छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे।

## 29. समूह बीमा योजना

सभी शिक्षकों को विश्वविद्यालय द्वारा यथाअंगीकृत समूह बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।

## 30. यात्रा और दैनिक भत्ते

सभी शिक्षक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए लागू उपबंधों तथा अध्यादेशों/विनियमों में निर्धारित किए गए अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ते आदि के हकदार होंगे।

## 31. चिकित्सा परिचर्या और उपचार

सभी शिक्षक दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं तथा अपने और अपने परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों के उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

## 32. कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

32.1 विश्वविद्यालय के शिक्षक को, यदि उपलब्ध हो तो, निजी आवासीय उपयोग के लिए विश्वविद्यालय परिसर में एक असज्जित मकान आवंटित किया जा सकेगा, जिसमें उसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन निवास करना अपेक्षित होगा।

32.2 यदि परिसर में कोई आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथाअंगीकृत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता संदेय होगा।

## 33. सेवा की अवशिष्ट शर्तें और कठिनाइयों का निराकरण:

शिक्षकों की सेवा शर्तों से संबंधित किसी अन्य मामले, जिसके लिए इस संविधि में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, का अवधारण संबंधित विषय पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रासंगिक नियमों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं के अनुसार डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से किया जाएगा। जहां इस संविधि के किसी भी उपबंध की व्याख्या करने या उसे लागू किए जाने के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो मामले को निर्णय के लिए डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड को भेजा जाएगा और डीटीयू के प्रबंधन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

*अस्वीकरण : उपरोक्त अधिसूचना मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित संविधि (statutes) का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित संविधि मान्य होगी।*

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल व  
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के आदेश से तथा उनके नाम पर,

बिनोद डोले, कुलसचिव, डी. टी. यू.

**DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY****(Formerly Delhi College of Engineering)****NOTIFICATION**

Delhi, the 6th January, 2026

**F. No. DTU/ORG/Notification/04(1)/2009.P.II/720.**— In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section-31 read with Section-30 of the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), the Chancellor of Delhi Technological University is pleased to make the following Statute relating to the manner of appointment, terms and conditions of service of regular teachers appointed against the permanent posts by the University.

**1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT**

- 1.1 This Statute may be called the Delhi Technological University (**Second**) Statute, 2025.
- 1.2 It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
- 1.3 This shall apply to Teachers of Delhi Technological University. Teachers shall include Professors, Associate Professors and Assistant Professors.

**2. DEFINITIONS**

Words and expressions used in this Statute, where it has not been defined, shall have the meanings assigned to them in the Delhi Technological University Act, 2009 and Delhi Technological University (First) Statute, 2009 unless the context otherwise requires.

**3. RECRUITMENT**

- 3.1 Subject to the fulfillment of the requirements as prescribed in the Recruitment Rules for each post, all permanent posts of teachers shall be filled by direct recruitment through all India advertisement. The process of recruitment shall be in a manner as prescribed by the University. The selection shall be on the basis of merit as recommended by the duly constituted Selection Committees in accordance with Delhi Technological University Act, 2009 and Delhi Technological University (First) Statute, 2009. The appointments shall be made by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committees.

Appointments may also be made on the recommendation of a Selection Committee for a particular post by considering the candidature *in absentia* in any special case.

**3.2 Reservations:**

Reservation in posts for candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD), Economically Weaker Section and other special categories shall be provided as per the provisions of reservation prescribed by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time.

**4. MEDICAL FITNESS****4.1 On First Appointment:**

Every candidate for the post of teacher, on his/her first appointment in the University through direct recruitment on regular basis shall be required to produce a medical certificate of fitness in the prescribed proforma from a medical Board of hospital of Government of National Capital Territory of Delhi or Government of India or Medical Board constituted by the Vice Chancellor of the University. In case candidate is not declared fit by the Medical Board, the candidate may prefer an appeal within a month against the findings of the Medical Board, to the Vice-Chancellor who, after considering the appeal of the candidate, may refer the candidate for the opinion of the higher Medical Board of a hospital of Government of National Capital Territory of Delhi or Government of India and the decision of such Medical Board shall be final.

Provided that in case where a candidate has already been medically examined by a medical authority of a Government hospital for his previous appointment and if the required standard of medical fitness for the new post is the same, he/she shall not be required to undergo a fresh medical examination.

**4.2 For Efficient Discharge of Duties:**

The Appointing Authority may require a teacher to appear before a Medical Board of the hospital of the Government of National Capital Territory of Delhi or Government of India to examine his/her physical or mental fitness necessary for efficient discharge of duties, whenever it has reason to believe that the teacher is not fit to perform his/her duties satisfactorily. The teacher shall however, have the right to appeal to the Vice-Chancellor who, after considering the appeal of the candidate, may refer the candidate for the opinion of the higher Medical Board of a hospital of Government of National Capital Territory of Delhi or Government of India and the decision of such Medical Board shall be final.

**5. VERIFICATION OF CHARACTER AND ANTECEDENTS**

The character and antecedents of all Teachers on his/ her first entry into service of the University shall be got verified from the District Magistrate/ any other competent authority concerned before his/ her joining the service of the University.

**6. JOINING TIME**

The joining time for a teacher shall be one month from the date of issue of the Offer of Appointment. However, in exceptional cases it can be extended by the Vice Chancellor, depending on the merits of the case.

**7. DECLARATION OF AGE**

A candidate shall make a declaration of his/ her age to the University at the time of his/ her entry into service, based on his/ her date of birth as declared in the relevant matriculation or equivalent certificate/ birth certificate issued by the Competent Authority. After the declaration of age and acceptance of the same by the University, it shall be legally binding on him/ her and no revision of age shall be allowed to be made at a later date for any reason whatsoever.

**8. WRITTEN CONTRACT OF SERVICE**

Every teacher of the University shall be appointed on a written contract entered into between the University and the Teacher as per Section-36 (1) of Delhi Technological University Act, 2009 read with the Section 20(2) of Delhi Technological University (First) Statutes 2009.

**9. WHOLE TIME OF A TEACHER**

- 9.1 Unless otherwise expressly provided for, the whole time of a teacher shall be at the disposal of the University and he/she shall serve the University in such capacity and in such manner and at such places as directed by the Vice-Chancellor of the University from time to time.
- 9.2 A teacher of the University may be called upon to perform any duty as may be assigned to him/ her in the interest of and for the purpose of the University.

**10. PAY AND ALLOWANCES**

The Pay and Allowances and Incentives for Higher Qualifications shall be as per the provision of such shall be in such pay-matrix/ pay-bands or at such stage of such pay-matrix/ pay-bands, as defined in the Recruitment Rules, considering the pay-matrix/ pay-bands as notified by UGC / AICTE and approved by Government of NCT Delhi and adopted by the Board of Management thereafter from time to time.

**11. ANNUAL INCREMENTS**

The Annual Increments shall be applicable as approved by the Govt of NCT of Delhi.

**12. CAREER ADVANCEMENT**

The Career Advancement Scheme shall be applicable as per the provision of the AICTE/ UGC's Regulations and as approved by the Govt of NCT of Delhi.

**13. COUNTING OF PAST SERVICE**

The Counting of Past Services shall be applicable as per the provision of the AICTE/ UGC's Regulations and as approved by the Govt of NCT of Delhi.

**14. PERIOD OF PROBATION AND CONFIRMATION**

- 14.1 Every teacher appointed against a permanent post shall be on probation for a period as prescribed in Recruitment Rules provided, the Appointing Authority may extend the period of probation for a further period of twelve months for reason(s) to be recorded in writing and communicated to the teacher concerned within a period of 6-8 weeks.
- 14.2 In case of a teacher appointed on probation, the appointment may be terminated by one month's notice or by payment of a sum equivalent to one month's salary by either party choosing to terminate the appointment, without assigning any reason.
- Provided that where the service is of less than three months, neither any notice nor payment of salary in lieu of notice shall be required.
- 14.3 On satisfactory completion of the period of probation, a teacher shall be eligible for confirmation on that post in a manner as prescribed in the Regulations.

**15. SENIORITY**

The seniority of a teacher in the department/ discipline shall be determined in accordance with the DTU Statute (Sixth), 2021 as contained in Gazette Notification dated 23.03.2022 and as amended and notified from time-to-time.

**16. TEMPORARY AND PERMANENT SERVICE**

- 16.1 An employee shall be in the temporary service of the University, while being on probation until he/she is confirmed in the University subject to the prescribed provisions of the University Statutes/ Ordinances.
- 16.2 An employee confirmed on a permanent post in the University shall be in the permanent service of the University subject to the provisions in the Act and the Statutes thereunder.

**17. RESIGNATION**

Subject to the acceptance of resignation by the Competent Authority, a confirmed teacher may, by giving notice of three months in writing to the appointing authority, resign from the service of the University.

Provided that the appointing authority may, if deemed proper, relieve a permanent employee on notice of less than three months. The resignation shall be effective from the date of its acceptance by the Appointing Authority.

**18. SUPERANNUATION OF TEACHERS**

Teachers in the permanent whole time service of the University shall retire on superannuation on completing the age of such years as applicable to teachers of the University shall be such as defined in the Recruitment Rules, considering the such Age of Superannuation as notified by UGC / AICTE and approved by Government of NCT Delhi and adopted by the Board of Management thereafter from time to time.

While a teacher's date of birth falls on any day other than the first day of the month, he/ she shall retire on superannuation on the last day of that month. The teacher whose date of birth falls on the first day of a month, he/ she shall retire on superannuation on the last date of the previous month.

**19. RETIREMENT BENEFITS**

The teachers of the University will be covered under the New Pension Scheme as approved by the Government of NCT Delhi.

A teacher of the University on superannuation will be entitled for gratuity and other retirement benefits as recommend by AICTE/ UGC and approved by the Government of NCT Delhi and subsequently adopted by the Board of Management DTU from time-to-time.

The Gratuity and other retirement benefits shall be governed by the rules as approved by the Govt of NCT Delhi and as adopted by the Board of Management, DTU from time to time.

**20. LEAVE RULES**

Leave rules, as notified vide notification F. 1/DTU/Leave(T)/Estt/2017/424 dated 10.01.2018 and the Ordinances/ Regulations amended and notified from time-to-time, shall be applicable to the University teachers.

**21. ANNUAL PERFORMANCE APPRAISAL REPORT**

21.1 Performance appraisal Scheme for teachers including self-appraisal of performance in accordance with the guidelines of AICTE/ UGC as approved by the Government of NCT Delhi and as adopted by Board of Management, DTU shall be applicable.

21.2 The performance appraisal reports shall be submitted to the reporting, reviewing and accepting authorities as prescribed in the Ordinance/ Regulations.

**22. CODE OF PROFESSIONAL ETHICS**

The Code of Professional Ethics as laid down by the University in relevant Ordinance/ Regulations shall be applicable to all the teachers.

**23. CONDUCT, DISCIPLINE AND APPEAL**

The teachers of the University shall be governed by the Conduct, Discipline and Appeal Rules as prescribed in the Ordinance/ Regulations of the University.

**24. LIEN AND DEPUTATION**

The appointing authority may allow a teacher of the University to be on deputation within Government of National Capital Territory of Delhi/ other Universities/ Research Laboratories and to an outside Government agency on such terms and conditions relating to payment of leave and other contributions etc., as mutually agreed upon between the University and the borrowing authority and as prescribed in the Ordinances/ Regulations of the University.

**25. VACATION**

25.1 Vacation will be of such duration and dates as notified in the Academic Calendar of the University every year.

25.2 Teaching staff of the University shall be entitled to avail themselves of the vacation and will be termed as "vacation staff".

25.3 Vacation staff cannot automatically avail of the vacation. In case the exigencies so demand, any member of vacation staff can be called for duty during vacation. The Earned Leave in lieu of this retention period shall be credited as defined in the Ordinances/ Regulations pertaining to Leave Rules as notified vide notification F1/DTU/Leave(T)/Estt/2017/424 dated 10.01.2018 and the Ordinances/ Regulations amended and notified from time-to-time, of the University.

**26. COMPULSORY DEDUCTIONS**

26.1 No deduction, of any kind shall be made from the salary of a teacher except as prescribed in the Ordinances/ Regulations of the University.

Provided that the deductions will be made against the statutory deductions as per income tax purpose/ Medical facilities / insurance premium as may be opted by the teacher from time to time.

26.2 Where a teacher contributes to a duly established New Pension Scheme (NPS), and the rules thereof approved by the University; the contributions to that Fund at the prescribed rate shall be deducted from his/ her salary each month.

**27. RECORD OF SERVICE**

27.1 There shall be a personal file for every teacher in which shall be placed all papers, records and other documents relating to his/her service in the University.

27.2 In addition to the personal file, a service book shall also be maintained in respect of each teacher in prescribed form. This shall contain a history of his/her service from the date of his/ her appointment in the University including grant of increment, promotion, reward, punishment, availing of L.T.C. and all other

important events of his/ her career. The Service Book shall also contain a leave account of the teacher showing the complete record of all kinds of leave (except casual leave and special casual leave) earned and availed of by him/her and the balance of leave at his/ her credit.

- 27.3 The entries in the service book shall be authenticated by Head-of-Office or any other officer as may be designated by the Vice-Chancellor.

**28. LEAVE TRAVEL CONCESSION**

Teacher appointed on permanent post shall be entitled to Leave Travel Concession as specified in the Ordinances/ Regulations of the University.

**29. GROUP INSURANCE SCHEME**

All teachers shall be covered under Group Insurance Scheme as adopted by the University.

**30. TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES**

All teachers shall be entitled to Travelling and Daily Allowances etc. according to the provisions applicable to employees of the University and as prescribed in the Ordinances/ Regulations.

**31. MEDICAL ATTENDANCE AND TREATMENT**

All teachers shall be entitled to medical facilities and reimbursement of medical expenses incurred for treatment for themselves and their families and dependents covered under Delhi Government Employees Health Scheme and other medical facilities notified by the University from time to time.

**32. RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR THE EMPLOYEES**

- 32.1 A teacher of the University may be allotted an unfurnished house within the campus of the University, for personal residential use, if available, in which he/she shall be required to reside, subject to such conditions as may be prescribed in the relevant Regulation(s) by the University.

- 32.2 If no accommodation is provided in the campus, House Rent Allowance will be payable as per Government of National Capital Territory of Delhi Rules, as may be adopted by the University from time to time.

**33. RESIDUARY CONDITIONS OF SERVICE & REMOVAL OF DIFFICULTIES**

Any matter relating to the conditions of service of teacher for which no specific provision is made in this Statute, shall be determined as per the relevant rules / guidelines / notifications of Government of NCT Delhi on the relevant subject, with the approval of the Board of Management DTU. Where a difficulty arises as to the interpretation or application of any of the provisions of this Statute, the matter will be referred to the Board of Management DTU for a decision and the decision of the Board of Management DTU shall be final.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of NCT of Delhi/Chancellor, Delhi Technological University,

BINOD DOLEY, Registrar, DTU